

मध्य प्रदेश शासन

क्रमांक रफ 20-5/2005/दोस्त
प्रात,

भोपाल, दिनांक 13.9.2005

१. समस्त प्रमुख संचिव/संचिव मध्यप्रदेश शासन
 २. समस्त योगाध्यक्ष मोप्रभोपाल ।

二四

मंत्रालय में पदस्थ प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव स्तर के आधकारियों को कार्यालय एवं निवास हेतु दरभाष आवंटन के संबंध में।

संदर्भ

गृह विभाग का पारेपत्र क्रमांक एफ 20-2/2002/दोस्तृजनांक
17.9.2002.

0

इस विभाग के आदेश प्रमांक सफ 20-2/2002/दोसृ३४ दिनांक 17.9.2002 में स्पष्ट निर्देश है "वल्लभ भवन के विभागों के टेलीफोन का काम पूर्णरूपेन संबंधित विभागों को सौंचा गया है इवं प्रत्येक विभाग अपने दूरभाष के लिए स्वीकृति इवं वित्तीय व्यवस्था अपने किसी एक विभागाद्यक्ष के माध्यम से करायेंगे" उक्त प्रदत्त अधिकारों के तहत दूरभाष संबंधी प्रकरणों का निराकरण करें 2/- गृह विभाग, मंत्रालय में केवल मान. मुख्यमंत्रीजी, मान. मंत्रीगण, मुख्यमंत्रिय विद महोदय, सामाज्य प्रशासन इवं गृह विभाग के दूरभाष का कार्य ही सम्पादित किया जावेगा ।

पूर्णोष्ट 20-2/2002/दास ३४
प्रतिक्रिया

प्रातेष्विष-

जनर सांवध

मोक्षशासन, गृहसंसामान्य विभाग

2

जनर सांवध

मोक्षशासन, गृहसंसामान्य विभाग

• 200

2

१. साँचव, मुख्यपंत्री का यात्रिय, म०प्र०भोपाल ।
 २. अपर साँचव, मुख्य साँचव का यात्रिय, मंत्रालय, भोपाल ।
 ३. मुख्य लेखा आधिकारा, म०प्र०भ्र०त्र०काय, भोपाल ।
 ४. महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, भोपाल ।
 ५. कार्यपालिक संचालक, भारतोय टेलनेट लिमिटेड, मालवोय नगर, भोपाल ।
 ६. सब इन्सपेक्टर, दूरसंचार वल्लभ भवन, भोपाल ।
 - फोल्डर प्र०त ।
 - और सूचनार्थ संबं आवश्यक कार्डिनल के ।

और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहा हेतु प्रेषित

अवर संचय १०
म०प्र०शासन, गृहसामान्य० विभाग